भारत सरकार

पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या. 19

दिनांक 30.11.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए

**LoPN Hkkjr fe'ku ds varxZr LoPN Hkkjr dks"k**

**19- Jh dsñVhñ,lñ rqylh%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k iz/kkuea=h ds ok;ns ds vuqlkj LoPN Hkkjr fe'ku ds varxZr LoPN Hkkjr dks"k cuk;k x;k gS] vkSj ;fn gk¡] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(

¼[k½ mi;qZDr dk;ZØe ds fy, izpkj dk ctV fdruk gS( vkSj

¼x½ LoPN Hkkjr fe'ku ds varxZr 2019 rd 13 djksM+ 'kkSpky; cukus ds fy, ljdkj us fdruh /kujkf'k vkcafVr djus dk ok;nk fd;k gS\

**उत्‍तर**

**राज्‍य मंत्री, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**(श्री राम कृपाल यादव)**

(क) स्‍वच्‍छ भारत कोष की स्‍थापना वित्‍त मंत्रालय, नई दिल्‍ली के अंतर्गत नवम्‍बर, 2014 में की गई। सचिव, व्‍यय विभाग गवर्निंग बाडी के अध्‍यक्ष हैं। अन्‍य स्‍थायी सदस्‍य हैं- सचिव (आयोजना), सचिव (पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय), सचिव (शहरी विकास), सचिव (पंचायती राज) तथा सचिव (स्‍कूली शिक्षा और साक्षरता)। जब भी पर्यटन, संस्‍कृति अथवा किसी अन्‍य विभाग के विभागीय सचिवों के प्रस्‍तावों पर विचार किया जाएगा तो उन्‍हें भी बुलाया जाएगा। परोपकारी अंशदानों तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व (सीएसआर) निधियों को इस कार्य हेतु उपयोग सरल बनाने के लिए स्‍वच्‍छ भारत कोष की स्‍थापना की गई है। कोष का प्रयोग स्‍कूलों सहित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्‍वच्‍छता के स्‍तरों को बेहतर बनाने के उद्देश्‍य की प्राप्‍ति के लिए किया जाएगा। उक्‍त कार्यों के लिए केंद्रीय स्‍तर पर 3 प्रतिशत संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्‍य तथा जिला स्‍तर के सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण स्‍तर पर कुल संसाधनों का 5 प्रतिशत तक खर्च किया जा सकता है।

(ग) स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अनुमानित आवश्‍यक कुल निधियाँ 1,34,386 करोड़ रुपये है जिनमें से 1,00,447 करोड़ रुपये केन्‍द्रीय अंशदान है।

\*\*\*\*